भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1346

14 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

वर्ग 'क', 'ख', और 'ग' के अधिकारियों और कर्मचारियों की काडर समीक्षा

1346 श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वर्ग 'क', 'ख', और 'ग' के अधिकारियों और कर्मचारियों की काफी समय से काडर समीक्षा नहीं हुई है।

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्ग 'क', 'ख', और 'ग' के अधिकारियों और कर्मचारियों की काडर समीक्षा को पूर्ण करने के लिए तय समय-सीमा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग): केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के उद्यान-विज्ञान संवर्ग की संवर्ग समीक्षा अप्रैल 2019 में की गई थी। सीपीडब्ल्यूडी के अन्य संवर्ग जैसे केंद्रीय इंजीनियरिंग (सिविल) सेवा (सीईएस), केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकल एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा, (सीईएमईएस) केंद्रीय वास्तुकला सेवा (सीएएस), अधीनस्थ इंजीनियरिंग संवर्ग, मिनिस्टीरियल संवर्ग आदि की समीक्षा की जानी है। इसे अंतिम रूप देने की समय-सीमा का आंकलन इस समय नहीं किया जा सकता है।

****